24.01.2017 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल सुगनाराम बावजूद इत्तला और तामील। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गावड़ी ने मौजा छितरासर कलां ख.नं. 218 रकबा 0.06 हेक्टेयर किस्म भूमि गै.मु. पर सम्वत 2073 में बाड़ लगा कर गैर सायल सुगनाराम पुत्र भैराराम कौम मेघवाल नि. छितरासर कलां के विरुद्ध नाजायज कब्जा बाड़ लगा कर करने के कारण पी.बी. रिपोर्ट पेश की गई जिस पर इस मामले में गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर सायल के विरुद्ध LRAct 1956 की धारा 91(5) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था गैर सायल उपस्थित हुआ एवं उन्होंने भी राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा करना भी स्वीकार किया है। जिससे गैर सायल की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण

अतिक्रमण आदि कर्मी घोषित किया जाकर राजकीय भूमि ओ.शु. भूमि 8 से किए गये अतिक्रमण को मौके माप से बेदखल करने एवं शास्ती के ज्ञापन की पचास रुपए सुविधा राशि — 12/- (बारह रुपये) कायम किये जाते हैं। पटवारी हल्का गनावड़ी को अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके रूप बेदखल करने एवं प्रावधित सुविधा राशि की वसूली हेतु लिखा जावे पत्रावली सुविधा राशि वास्ते हेतु दि. 31.3.18 को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दि. 24.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

वर्ष 2073 रुपये 12/-
रा.से. 4 के पृष्ठ सं. 155 पर दर्ज की।